उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या– 40 / 2021

सुनीता महतो बनाम् फुलो देवी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
28-10-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी सुनीता महतो, पिता–स्व० बिगन महतो, पति–नागेन्द्र महतो, ग्राम–छोटकी लारी, पो०–लारीकला, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर परमिशन वाद संख्या–105 / 2018–19 सुनीता महतो बनाम् फुलो देवी में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–छोटकी लारी, थाना न०–127 थाना–रजरपा, जिला रामगढ़ के खाता न0–31 प्लॉट न0–603 मध्ये रकवा–0.0350 ए0 एवं प्लॉट नं०–606 मध्ये रकवा–0.0350 ए0 कुल मध्ये रकवा–0.07 ए0 भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूमि मौजा–छोटकी लारी, थाना न०–127 थाना–रजरप्पा, जिला रामगढ़ के खाता न0–31 सर्वे खतियान में बिन्दु कुरमी वगै० के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ सं०–135 / I में मन्तु महतो वगै० नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद वर्ष–2018–19 तक निर्गत है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति होने के आधार पर दावा करते है जिसे बिक्री हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किये है। जबकि विपक्षी क्रमांक–02 द्वारा उक्त भूमि की बिक्री पर आपत्ति करते हुए सह–हिस्सेदार होने का दावा करते है एवं उक्त भूमि को वे स्वयं क्रय करना चाहते है। उनका कहना अपीलार्थी तीन बहनें है लेकिन बिना बँटवारा के अपीलार्थी अकेले भूमि बिक्री करना चाहती है, जो विधिसम्मत नहीं है। जबकि अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का आपसी बँटवारा हो चुका है इस लिए मुझे उक्त भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति दी जाय। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि मामला आपसी बँटवारा से संबंधित है। जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय में	

ही कि जा सकती है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ के द्वारा पारित आदेश से सहमत है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। आपत्तिकर्त्ता के अनुसार अपीलार्थी के आलवा उनकी और दो बहनें है जिसके आधार पर प्रश्नगत 0.07 ए० भूमि में अपीलार्थी को मात्र $0.02^{1}/_{3}$ ए० भूमि हिस्से में आता है परन्तु उनके द्वारा 0.07 ए० भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति चहती है। मामला आपसी बँटवारा का प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन अपील वाद संख्या–105/2018–19 सुनीता महतो बनाम् फुलो देवी में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
28.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
28.10.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.11.11 14:51:54 +05:30
Location: 192.168.0.9